न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— मुन्नीराम बागड़िया
(आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :— 24/2017

दानाराम पुत्र भागीरथ जाति माली निवासी पपूरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं
—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं।
—रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू—राजस्व अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 07.04.2017 बअदालत तहसीलदार खेतड़ी मुकदमा उनवानी सरकार बनाम दानाराम मु0न0 01/2017 अ0धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थिति :—
1. श्री राजेश पुनियां, एडवोकेट — अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण सैनी, एडवोकेट — रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय — दिनांक 16.11.2017

अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम पपुरना तहसील खेतड़ी में जमीन हाल ख0न0 2342 रकबा 7.29 है0 किस्म गैर मुमकीन पहाड़ स्थित है। उक्त जमीन में से अपीलान्ट द्वारा तथाकथित रूप से 330 वर्ग मीटर जमीन पर टिनसैड का कच्चा मकान तथा पशुबाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर लगान 20 गुणा तावान कायम करने एंव अतिक्रमण स्थल से बेदखल किये जाने का पारित निर्णय दिनांक 07.04.2017 खिलाफ कानून न्याय एंव पत्रावली के होने से खारिज होने योग्य है। मौजुदा प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नही होते। तथाकथित अतिक्रमण स्थल पर अपीलान्ट का काफी पुराना कब्जा है एंव नियमन के काबिल है। अपीलान्ट उक्त तथाकथित अतिक्रमण स्थल पर परिवार सहित रिहायश करता है। रिहायश के लिए अन्य कोई जगह नही है। अदालत में अपीलान्ट की जबाब देही निर्णय जैर बहस पारित करने में नजर अन्दाज किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने का निर्णय जैर बहस के आधार पर दर्ज नही किया है। अदालत मातहत ने निर्णय निष्कर्ष सहित पारित नही किया इसलिए

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट का तथाकथित स्थल पर सद्भाविक कब्जा है। मौके पर जमीन जैर बहस गैर मुमकीन पहाड़ नही है बल्कि आबादी क्षैत्र है। कानुन से जहां सद्भाविक कब्जे व किस्म जमीन का विवाद हो वहां एक सद्भाविक काबिज व्यक्ति को सरसरी कार्यवाही के द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता। जहां जमीन व सद्भाविक कब्जे का सवाल हो वहां रेगुलर कार्यवाही अपनाई जाकर बाद साक्ष्य ही सद्भाविक व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार मौजुदा प्रकरण में धारा 91 के अन्तर्गत आवश्यक प्रावधान लागु नही होने के कारण आलौच्य निर्णय खारिज होने योग्य है। अन्त में अपील पेशकर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.04.2017 को खारिज किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराया एंव मौजुदा प्रकरण में अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नही होते। तथाकथित अतिक्रमण स्थल पर अपीलान्ट का काफी पुराना कब्जा है एंव नियमन के काबिल है। कानून से जहां सद्भाविक कब्जे व किस्म जमीन का विवाद हो वहां एक सद्भाविक काबिज व्यक्ति को सरसरी कार्यवाही के द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता। जहां जमीन व सद्भाविक कब्जे का सवाल हो वहां रेगुलर कार्यवाही अपनाई जाकर बाद साक्ष्य ही सद्भाविक व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार मौजुदा प्रकरण में धारा 91 के अन्तर्गत आवश्यक प्रावधान लागु नही होने के कारण आलौच्यनिर्णय खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.04.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी ने अपीलान्ट द्वारा ग्राम पपुरना स्थित राजकीय भूमि ख0न0 2342 रकबा 7.29 है0 किस्म गै0मु0 पहाड़ में से 330 वर्ग मीटर पर टिनसैड का कच्चा मकान तथा पशुबाड़ा अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रकिया के अन्तर्गत विधिसमत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

मैंने पत्रावली का एंव मिसल मातहत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के निर्णय दिनांक 07.04.2017 का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा इस प्रकरण में धारा 91 एल. आर.एक्ट के अन्तर्गत अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इसी खसरा नंबर 2342 में पुराने कब्जे के संबंध न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा धारा 91 का नोटिस जो दिनांक 21.9.2006 को जारी किया गया है कि प्रति अपने जवाब के साथ प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया है कि प्रश्नगत भूमि पर उसका पिछले 25 वर्षों से पुराना कब्जा है व पुख्ता मकानात बने हुये हैं। भूमि आंवटन योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान न कर एक पक्षीय कार्यवाही की है तथा न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा दिनांक 21.9.2006 को अपीलांट को जारी धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस के संबंध में अपने निर्णय में कोई फाईडिंग नहीं दी केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिती में प्रकरण के तथ्य एंव परिस्थितियों को देखते हुए अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एंव न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.04.2017 उनवान सरकार बनाम दानाराम मुकदमा नम्बर 01/2017 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार खेतड़ी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कि जाती है कि वे वादग्रसत भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर पुराने कब्जे बाबत पक्षकारान को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत पुनः विधिवसम्मत निर्णय पारित करे। मिसल मातहत अदालत आदेशों की प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रवली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बगड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को मेरे द्वारा अलग से टकिंत करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बगड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं